छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2439564, फैक्स–2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 240/ 11 /2017/ प.गो. रायपुर, दिनांक 25–07–2017

–:: विज्ञप्ति ::–

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा **दिनांक 09 जुलाई 2017** को **ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा–2017, साईटिफिक ऑफिसर रसायन तथा साईटिफिक ऑफिसर बॉटनी/फार्मकोगोनोसी परीक्षा–2017** के मॉडल उत्तर जारी किए जा चुके हैं, जो आयोग की वेबसाईट **www.psc.cg.gov.in** पर उपलब्ध है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्नों अथवा उत्तर विकल्प/विकल्पों के सबंध में कोई आपत्ति हो तो वे निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दर्ज कर सकते हैं।

ऑनलाइन आपत्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियॉ निम्नवत है–

- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि– **25 जुलाई 2017** अपरान्ह 12:00 बजे से
- ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि– **31 जुलाई 2017** रात्रि 12:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

25/7/17

परीक्षा नियंत्रक

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

ग्रंथपाल एवं क्रीडाधिकारी परीक्षा–2017, साइंटिफिक ऑफिसर बॉटनी/फार्माकोगोनोसी परीक्षा–2017 के मॉडल उत्तर के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की प्रारंभ तिथि – **25 जुलाई 2017** अपरान्ह 12:00 बजे से
ऑनलाइन आपत्ति स्वीकार करने की अंतिम तिथि – **31 जुलाई 2017** रात्रि 12:00 बजे तक

ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने संबंधी निर्देश

1. परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से मॉडल उत्तर के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
2. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने हेतु अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के समय प्राप्त User ID तथा Password की प्रविष्टि कर लॉगिन करना होगा।
3. लॉगिन करने के पश्चात प्राप्त वेब पेज पर अभ्यर्थी को निम्न टेब (खण्ड) प्राप्त होंगे–
   - Application form
   - File Your Objection
   - Print Receipts
4. प्रथम टेब (Application form) में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के दौरान दी गई महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारियों का परीक्षण हेतु अवलोकन मात्र कर सकेंगे।
5. द्वितीय टेब (File Your Objection) में अभ्यर्थी को विषय, प्रश्न–पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न–पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक की प्रविष्टि करने के पश्चात, आपत्ति के प्रकार का चयन करना होगा। आपत्ति के प्रकार निम्नवत हो सकते है–
   a. प्रश्न गलत है।
   b. प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर का है।
   c. प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत है
   d. प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है।
   e. आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है।
   f. प्रश्न के हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद में तथ्यात्मक भिन्नता है।
6. यदि अभ्यर्थी द्वारा "आयोग द्वारा जारी उत्तर विकल्प गलत है" को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्प की प्रविष्टि करनी होगी।
7. यदि अभ्यर्थी द्वारा "प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही है" को चुना जाता है तो उसे स्वयं के अनुसार सही उत्तर विकल्पों की प्रविष्टि/चयन करना होगा।
8. किसी भी प्रकार की आपत्ति के चयन के पश्चात अभ्यर्थी को आपत्ति के समर्थन में प्रमाण स्वरुप अपलोड किए जाने वाले सुसंगत अभिलेख के स्रोत का विवरण प्रविष्ट करना होगा जिसके अंतर्गत प्रमाण स्वरुप प्रयुक्त अभिलेख से संबंधित पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, संस्करण, प्रकाशन तिथि, पृष्ठ संख्या इत्यादि का उल्लेख करना होगा। यदि प्रमाण स्वरुप अपलोड किये जाने वाले अभिलेख प्रतिष्ठित वेबसाइट से लिये गये हो, तो अभ्यर्थी इस बात का विशेष रुप से ध्यान रखें कि उनके द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में उस वेबसाइट में दिये गये कंटेन्ट को डाउनलोड कर प्रिंट कर अपलोड करना होगा।
9. अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न रूपये 50/– दावा–आपत्ति शुल्क का भुगतान करना होगा, साथ ही प्रत्येक लॉगिन पर रूपये 17/– पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क देना होगा।

10. एक बार लॉगिन कर अभ्यर्थी एक से अधिक प्रश्नों के लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते है। बार–बार लॉगिन कर आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया में अभ्यर्थी को प्रत्येक बार रूपये 17/– पोर्टल शुल्क एवं चुने गए भुगतान के तरीके के आधार पर पेमेन्ट गेटवे शुल्क का भुगतान करना होगा।

11. समस्त ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करने तथा पोर्टल शुल्क व पेमेन्ट गेटवे शुल्क का भुगतान करने के पश्चात दर्ज की गई आपत्तियों से संबंधित प्रश्नवार रसीद/पावती का प्रिंट पृथक–पृथक प्राप्त किया जाना होगा, इस हेतु लिंक तृतीय टेब (Print Receipts) पर प्राप्त होंगे।

12. अभ्यर्थियों को आपत्तियों के समर्थन में दस्तावेजों को अपलोड करने हेतु एक Document Tab दिया जाएगा। जिनकी अधिकतम क्षमता 5MB होगी। समस्त दस्तावेज Pdf फार्मेट में ही अपलोड किए ज़ाएंगे।

13. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते समय यह अंकित करना भी अनिवार्य होगा कि किस आपत्ति के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों में से कहां से कहां तक की पृष्ठ संख्या वाले पेज अपलोड किए गए हैं। **आपत्ति के समर्थन में अपलोड करने के पूर्व प्रत्येक पन्ने तथा पृष्ठ के उपरी हिस्से पर विषय, प्रश्न–पत्र (वैकल्पिक विषय हेतु), प्रश्न–पत्र का सेट तथा प्रश्न क्रमांक लिखा होना अनिवार्य है।**

14. कार्ड/नेटबैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिग के दौरान फिशिंग/हैंकिग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

15. **अभ्यर्थी यह भली–भांति समझ लें कि यदि ऑनलाइन आपत्ति शुल्क की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो अभ्यर्थी द्वारा आयोग को प्रेषित आपत्ति कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी।**

16. अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान की स्थिति में प्राप्त होने वाली पावती/रसीद पर **Payment Status के सामने Payment Done** मुद्रित होगा। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज आपत्ति स्वयमेव खारिज हो जाएगी एवं इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का आवेदन/अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

25/7/17

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर